

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7/1/19
को पेश हो।

वकील उभयपक्ष/अपीलान्ट उप./पीठासीन अधिकारी
संबन्ध प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश
का होने के कारण पत्रावली गतदेशानुसार दिनांक
7/1/19.....को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप.
वकील उभयपक्ष बहस हेतु समय पाए
हैं। वकील उभयपक्ष को पूर्व में भी
बहस हेतु अवसर प्रदान किये जा चुके
हैं। अब वकील उभयपक्ष को बहस
हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता
है। वकील उभयपक्ष आगामी दिनांक
20/1/19 तक अपनी बहस सुना सकते
हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक
20/1/19 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.
पत्रावली के क्लॉक पर शाल उफा है कि
वकील अपीलान्ट द्वारा यह कपील CR Act
की धारा 75 के तहत लट्ठीलदार सचार्ड
माफेउर के संपरिवर्तन का डेटा दिनांक 30-9-19
के दिवस उल्लुल की कपी है। संपरिवर्तन
का डेटा की कपील सुनने का न्यायिक सेजाफिकर
नगपालप को जाल नहीं होने के कारण एं
अंतिम जिला कलेक्टर महोदय को सुनने का
अधिकार होने से यह कपील नगपालप जिला
कलेक्टर सचार्ड माफेउर को तलानानगर
की पाली है। उभयपक्ष को नगपालप
जिला कलेक्टर स० माफेउर के प्रेसी
सुनने हेतु आगामी पेशी 23-1-19 की उप
सुनने हेतु शब्द गैरा जाल है।